पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110 002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52
दिनांक : 7 जून 2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जगदीश प्रधान

क्या पर्यावरण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि:

कमाक संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि जनता द्वारा पॉलिथिनों में भरकर कूड़ा फेंका जाना विकराल रूप धारण कर चुका है;	प्लास्टिक की थैलियॉ वजन में हल्की होने के कारण हवा में उड़कर या कूड़े कचरे के साथ नदियों/नालों/नालियों में जमा होकर पानी के बहाव में बाधा डालती है इससे सीवर लाइनें/नालियॉ रूकने के कारण सीवेज का इक्ट्ठा होना/जल भराव आदि की समस्या भी हो जाती है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि समस्या तब और भी ज्यादा गम्भीर हो जाती है, जब ये बैग नदी नालों में जमा हो जाते है;	
ग	इस समस्या से पर्यावरण पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सरकार नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रही है;	दिल्ली सरकार जनता को प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग के विरूद्ध जागरूक करती आई है। दिल्ली सरकार ने जन जागरूकता के लिए FM पर और अखबारों में इस विषय पर इश्तिहार भी दिए हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने पर विचार किया और दिनाँक 20.09.2011 को प्रारूप अधिसूचना व दिनाँक 23.12.2012 को फाइनल अधिसूचना निकाली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 के तहत सभी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न–बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियॉ भी शामिल है) के प्रयोग, विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय एवं दुलाई पर प्रतिबंध लगाया है। यह अधिसूचना याचिका संख्या WPC 7012/2012 द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन थी परन्तु 05.12.2016 के फैसले के तहत माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 को याचिका संख्या OA 281/2016 की RA 1/2017 तथा OA 04/2017 में दिए गए अन्तरिम निर्देश के तहत राष्ट्रीय
घ	सरकार थैलियों पर लगे बैन को कियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है;	
ड.	अब तक कितने लोगों के विरूद्ध क्या–क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई है;	
च	क्या सरकार सभी मोटाई के पॉलिथीन बैगों पर पूरी तरह से रोक लगाने की योजना पर विचार कर रही है;	
छ	यदि हॉ, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और	
ज	यदि नही तो प्लास्टिक की थैलियों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे है?	

जारी है..

S. NIGAM AGARWAL
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of N.C.T. of Delhi
Level-6, C-Wing

		राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया है एंव दोषियों को 5000/– रूपये पर्यावरण मुआवजा भरने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन निर्देशों का कियान्वन तीनों नगर निगम, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल, रेवन्यू डिर्पाटमेंट, दिल्ली कैंट बोर्ड तथा दिल्ली प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पालन की कार्रवाई रिर्पोट के अनुसार दिनांक 18.05.2018 तक 39385 किलो 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैलियां जब्त की गई, दोषियों के 2992 चालान काटे गए एंव 5265000/– रूपये पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा किए गए हैं।

Mrs. NIGAM AGARWAL
Senior Scientific Officer
Department of Environment
Govt. of N.C.T. of Delhi
Level-6, C-Wing, Delhi Secretariat
I. P. Estate, New Delhi-110002